

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्र:- प. 2(13)III/A/निर्वा/बी.एफ.सी/2018-19/ 5248 जयपुर, दिनांक:- 7-9-2018

प्रेषक :- मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर ।

प्रेषित :- समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान ।

विषय :- लेखाशीर्ष 2015- निर्वाचन तथा 0070- अन्य प्रशासनिक सेवायें, 02- निर्वाचन से सम्बन्धित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2019-20 एवं संशोधित अनुमान वर्ष 2018-19 के प्रस्ताव तैयार करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आय-व्ययक अनुमान तैयार करने संबंधी निर्देश वित्त (बजट) विभाग के बजट परिपत्र संख्या प. 4(36) वित्त-1 (1) आ. व्य./2017 दिनांक 30 अगस्त, 2017 (परिपत्र मय निर्धारित प्रपत्र एवं निर्देश वित्त विभाग की वेबसाईट finance.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं) को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सदैव की भांति आय-व्ययक अनुमान 2019-20 एवं संशोधित आय-व्ययक अनुमान 2018-19 निर्धारित प्रपत्र 1 (अ,ब एवं स), 2, 3, 8, 9 एवं 10 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए एवं आपके अधीनस्थ निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों के अनुमान शामिल करते हुए, प्रस्ताव इस विभाग को निम्नानुसार निर्धारित तिथि को विशेष वाहक (बजट तैयार करने वाले संबंधित कार्मिक) के साथ अनिवार्य रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि प्रस्ताव IFMS पर **On Line** कर दिये गये हैं।

क्र.स.	दिनांक	समय	जिले का नाम
1	17.09.18	11.00AM	अजमेर, अलवर, जयपुर, दौसा, नागौर, सीकर एवं टोंक
2	18.09.18	11.00 AM	भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जालोर, पाली, राजसमन्द एवं सिरौही
3	20.09.18	11.00AM	बांसा, बून्दी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर
4	24.09.18	11.00AM	भरतपुर, चूरू, धौलपुर, झुन्झुनू, जोधपुर, करौली एवं सवाईमाधोपुर
5	25.09.18	11.00AM	बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं जैसलमेर

निर्धारित तिथि तक आपके कार्यालय के आय-व्ययक अनुमान इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके अनुमानों का संकलन नहीं हो सकेगा एवं उनकी प्रतीक्षा किये बिना बजट प्रस्ताव वित्त (बजट) विभाग को प्रेषित कर दिये जावेंगे। इस प्रकार भविष्य में होने वाली असुविधा/कठिनाई का समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

इस विभाग में व्यय अपरिहार्य होते हैं इसलिये यह सुनिश्चित कर लेवें कि कोई भी प्रावधान अनुमानों में सम्मिलित होने से नहीं रह जाये, परन्तु संभावनाओं के आधार काल्पनिक प्रावधान कराने की प्रवृत्ति से बचना चाहिये। आय-व्ययक अनुमान 2019-20 एवं संशोधित अनुमान 2018-19 तैयार करते समय निम्न अनुदेशों का ध्यान रखा जावे।

अनुमानों का प्रस्तुतीकरण	
(क)	प्रपत्र-9 लघुशीर्ष 102, निर्वाचन अधिकारी के अन्तर्गत सभी विस्तृत मदों यथा
A	01-संवेतन संवेतन में मूल वेतन, विशेष वेतन, महंगाई वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा अन्य भत्ते सम्मिलित करने हैं। Note:- रिक्त पदों हेतु प्रावधान सम्मिलित नहीं किया जावे।
B	03-यात्रा भत्ता यात्रा भत्ता दौरे आदि तथा यात्रा भत्ता स्थानान्तरण (लम्बित दायित्वों की सूची सहित)
C	04-चिकित्सा भत्ता लम्बित दायित्वों का विवरण एवं विशेष मांग के लिये औचित्य एवं लम्बित दायित्वों की सूची, संलग्न करें
D	05-कार्यालय व्यय डाकतार व्यय, बिजली एवं जल प्रभार, पुस्तके तथा नियतकालिक पुस्तिकाएँ, फर्नीचर की मरम्मत एवं नवीनीकरण तथा अन्य आकस्मिक व्यय।
E	09-आर.आर.टी भवन गोदाम आदि के किराये का विवरण दर्शाया जावे
F	37-वर्दियाँ एवं अन्य सुविधाएं वर्दियों पर होने वाले व्यय का विवरण दिया जावे।
G	41-संविदा सेवाएं संविदा पर लिये गये कार्मिकों की संख्या, दर एवं कुल व्यय प्रपत्र-1 (ब) में भी दर्शाया जावे।
H	62-कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय मशीन विद मैन संविदा आधार पर लिये जाने बाबत प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करावें
(ख)	लघुशीर्ष 103, 105, 106 एवं 108 से सम्बन्धित आय-व्ययक अनुमान 2019-20 एवं संशोधित अनुमान 2018-19 के प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र क, ख, ग एवं घ में तैयार कर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।
नोट:-	(i) कृपया पूर्व दायित्वों का पूर्ण विवरण मय औचित्य के अलग से संलग्न कर प्रस्तुत करें अन्यथा विभाग द्वारा पूर्व दायित्वों के लिये प्रावधान के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
	(ii) गत वित्तीय वर्षों के बकाया दायित्वों की सूची भी बजट अनुमान के साथ संलग्न कर प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त बिन्दुवार बजट टिप्पणी भी आवश्यक रूप से संलग्न करें जिससे व्यय का औचित्य स्पष्ट हो सके तथा संलग्न प्रपत्रों में वांछित विवरण भी प्रेषित किया जावे।
	(iii) नवीन मद क्रय हेतु विस्तृत प्रस्ताव औचित्य के साथ पृथक से प्रेषित करें बजट प्रस्ताव/अनुमान में नवीन मद की राशि सम्मिलित नहीं की जावे।

जिला निर्वाचन अधिकारी बजट प्रस्तावों का स्वयं अपने स्तर पर अवलोकन कर सन्तुष्टि कर लेने के पश्चात ही हस्ताक्षर कर प्रस्ताव प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे कि सूचनाएं निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार ही हों। बजट प्रस्ताव लेकर उसी कार्मिक को भेजा जावे जो बजट के संबंध में पूर्ण जानकारी रखता हो तथा जिसे विवरणों की पूर्ण जानकारी हो एवं मांग के औचित्य को स्पष्ट कर सके।

संलग्न:- प्रपत्र क से घ

भवदीय,



(डॉ. रेखा गुप्ता)

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

प्रपत्र - क

संशोधित अनुमान वर्ष 2018-19
आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2019-20

मद	-	2015	-	निर्वाचन
		00		
		103	-	निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण
		(01)	-	चुनाव सम्बन्धी प्रभार
		[00]		

क्र. स.	विस्तृत मद	आदिनांक आवंटित बजट	माह 8/2018 तक किया गया व्यय	शेष माहों के लिये सम्भावित व्यय	संशोधित अनुमान वर्ष 2018-19 (4+5)	आय व्ययक अनुमान वर्ष 2019-20	बजट टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10-प्रकाशन व्यय						
	i प्रकाश एवं मुद्रण सम्बन्धी कार्य						
2-	29-प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय						
3.	42-प्रोत्साहन एवं मानदेय व्यय						
	i सुपरवाईजर मानदेय						
	ii बी.एल.ओ मानदेय						
	iii बी.एल.ओ को पुनरीक्षण कार्य हेतु Fix Remunesation						
	iv सुपरवाईजर को पुनरीक्षण कार्य हेतु Fix Remunesation						
4.	57-विभागों द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर व्यय						
	i यात्रा व्यय (बी.एल.ओ एवं सुपरवाईजर्स)						
	ii कार्यालय व्यय						
	iii मशीन विद मैन						
	iv राष्ट्रीय मतदाता दिवस						
	v SVEEP						
	योग						

जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर)

प्रपत्र - ख

संशोधित अनुमान वर्ष 2018-19
आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2019-20

मद	-	2015	-	निर्वाचन
		00		
		105	-	संसद के चुनाव कराने के लिये प्रभार
		(01)	-	चुनाव सम्बन्धी प्रभार
		[00]		
		57	-	विभागों द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर व्यय

क्र. स.	विस्तृत मद	आदिनांक आवंटित बजट	माह 8/ 2018 तक किया गया व्यय	शेष माहों के लिये सम्भावित व्यय	संशोधित अनुमान वर्ष 2018-19 (4+5)	आय व्ययक अनुमान वर्ष 2019-20	बजट टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	स्वीप कार्यक्रम						
2	मतदान / मतगणना दलों/माईक्रों ऑबजर्वर चुनाव स्टॉफ हेतु मानदेय/ दैनिक भत्ता						
3	पीठसीन अधिकारियों/ मतदान दलों हेतु चुनाव पूर्व सामग्री व व्यवस्थायें						
4	पर्यवेक्षकों की बोर्डिंग/ लॉजिंग						
5	अधिग्रहीत वाहनों का किराया/ पी.ओ.एल						
6	मतदान एवं लेखन सामग्री/ कम्प्यूटर स्टेशनरी						
7	टेन्ट/ फर्नीचर/ बैरीकेडिंग आदि						
8	विडियोग्राफी/ चुनाव व्यय मॉनिटरिंग सैल की व्यवस्था/ वेबकास्टिंग						
9	दूरभाष एवं अन्य विविध व्यय						
	योग						

जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर)

प्रपत्र - ग

संशोधित अनुमान वर्ष 2018-19
आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2019-20

मद	-	2015	-	निर्वाचन
		00		
		106	-	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमण्डल के चुनाव कराने के लिये प्रभार
		(01)	-	चुनाव सम्बन्धी प्रभार
		[00]		
		57	-	विभागों द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर व्यय

क्र. स.	विस्तृत मद	आदिनांक आवंटित बजट	माह 8/ 2018 तक किया गया व्यय	शेष माहों के लिये संभावित व्यय	संशोधित अनुमान वर्ष 2018-19 (4+5)	आय व्ययक अनुमान वर्ष 2019-20	बजट टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मतदान दलों/मतगणना दलों में नियुक्त अधिकारी/कार्मिक, जिनको चुनाव कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा, को देय दैनिक भत्ता/मानदेय/अल्पाहार सम्बन्धी व्यय।						
2	चुनाव हेतु अधिग्रहीत वाहनों का किराया/पी.ओ.एल आदि व्यय।						
3	विडियोग्राफी/फोटोग्राफी सम्बन्धी व्यय						
4	टेन्ट/पानी, बिजली/ टेलीफोन आदि व्यवस्थाओं सम्बन्धी व्यय।						
5	मतदान दलों को आउटराईट भुगतान सम्बन्धी स्टेशनरी व्यय						
6	कम्प्यूटर/अन्य कार्यालय व्ययों सम्बन्धी स्टेशनरी व्यय						
7	ईवीएम/वीवीपेट से सम्बन्धित व्यय यथा ट्रांसपोर्टेशन, बैटरी बैकअप/एफएलसी सम्बन्धी व्यय						
8	प्रचार प्रसार सम्बन्धी व्यय						
9	मतदाता सामग्री सम्बन्धी व्यय						
10	अन्य फुटकर व्यय						
	योग-						

जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर)

प्रपत्र - घ

संशोधित अनुमान वर्ष 2018-19
आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2019-20

मद	-	2015	-	निर्वाचन
		00		
		108	-	मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना
		(01)	-	चुनाव सम्बन्धी प्रभार
		[00]		
		57	-	विभागों द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर व्यय

क्र. स.	विस्तृत मद	आदिनांक आवंटित बजट	माह 8/2018 तक किया गया व्यय	शेष माहों के लिये संभावित व्यय	संशोधित अनुमान वर्ष 2018-19 (4+5)	आय व्ययक अनुमान वर्ष 2019-20	बजट टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रचार प्रसार						
2	मुद्रण (EPIC)						
3	स्टेशनरी						
4	विविध व्यय						
5	अन्य व्यय (यदि कोई हो तो अंकित करें)						
	योग						

जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर)